राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
प्रा. पत्र संख्या 03/25
सम्पत्ति बनाम तहसीलदार वगै.
निर्णय दिनांक 22.01.25

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
03/25	22.01.25	22.01.25

बउनवान

1. सम्पत्ति पत्नी रत्तीराम मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
2. सुनिता पत्नी ओमप्रकाश मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
3. राजवती पुत्री स्व. हजारी पत्नी नारायण मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
4. रामखिलाडी पुत्र स्व. खैराती मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा।
2. राजेन्द्र मीना पुत्र भजनी मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
3. रामनिवास मीना पुत्र भजनी निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री शिवदत्त जैमिनी।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) न्यायालय

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से, जरिये अभिभाषक श्री शिवदत्त जैमिनी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण खातेदारी की आराजी भूमि खाता नया 198 पुराना 190 खसरा सं. 1022 रकबा 0.01 हैक्टे., 1023 रकबा 0.28 हैक्टे., कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.29 हैक्टे. एवं खाता सं. नया 154 खसरा सं. 1021 रकबा 0.23 हैक्टे., 1024 रकबा 0.30 हैक्टै., 1024/1386 रकबा 0.28 हैक्टै., 1025 रकबा 0.27 हैक्टे., 1026 रकबा 0.13 हैक्टे., 1027 रकबा 0.11 हैक्टे, कुल खसरा 6 कुल रकबा 1.32 हैक्टे. के सम्पूर्ण रकबे पर काबिज कब्जा है जो वाके ग्राम ढिगारिया कपूर, पटवार हल्का ढिगारिया भीम, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण आराजी भूमि को उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी भूमि में से प्रार्थीगण की आंराजी के भूमि के पूर्व, उत्तर, द्रक्षिण दिशा में रिकार्डेड रास्ते हैं। साथ ही पश्चिम दिशा में प्रार्थीगण के खसरा सं. 1021, 1022, 1023 के सटवा अप्रार्थी सं. 2 व 3 की आराजी भूमि स्थित है। इसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थी सं. 2 व 3 जोत लगाने के दिनों में प्रार्थीगण की आराजी भूमि में स्थित खेत की मेड तोड कर अवैध तरीके से जोत लगाकर आराजी भूमि पर कब्जा कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के मना करने पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते हैं। प्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है और बगैर विवाद के चाहते हैं कि अप्रार्थीगण अपनी सीमा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

में ही रहे। इसका फायदा लेकर अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने प्रार्थीगण की काफी आराजी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है और करने पर आमादा हैं। प्रार्थीगण ने दिनाँक 15.05.24 को अप्रार्थीगण से अपनी-अपनी कब्जे काश्त की आराजी भूमि की सीमा का निर्धारण करवा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपनी आराजी भूमि पर कब्जे हेतु अनुरोध किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 2, 3 व उनके परिजनों ने प्रार्थीगण की आराजी भूमि में क्षतिकारित करने व अवैध कब्जा करने की नीयत से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने से इंकार कर दिया तथा खेत की मेढ को तोडने तथा प्रार्थीगण को मारने पर उतारू हो गये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने ऐलानिया धमकी भी दी कि अब जोत लगाने पर मेढ़ तोडकर प्रार्थीगण की आराजी पर अधिक अवैध कब्जा करेंगें। प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की आराजी खसरों का दिनाँक 06.06.24 को राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में सीमाज्ञान भी करवा चुके हैं। अब अपने कब्जे काश्त की आराजी खसरों का सीमाज्ञान के साथ पत्थरगढी का आदेश न्यायालय से करवा अपनी आराजी को सुरक्षित करना चाहते है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के खसरों 1021, 1022, 1023, जो पश्चिम दिशा में स्थित हैं, की आराजी सीमा के विवाद को लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच कभी भी कोई अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है जिसकी कल्पना करना असंभव है। अतः निवेदन है कि ग्राम ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा में स्थित प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा सं. 1022, 1023, 1021, 1024, 1024/1386, 1025, 1026, 1027 की चारों दिशाओं में पत्थरगढ़ी के आदेश करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीवद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमावन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 1022, 1023, 1021, 1024, 1024/1386, 1025, 1026, 1027 के प्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात का दिनांक 06.06.24 को तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 1022 रकबा 0.01 हैक्टे., 1023 रकबा 0.28 हैक्टे., 1021 रकबा 0.23 हैक्टे., 1024 रकबा 0.30 हैक्टे., 1024/1386 रकबा 0.28 हैक्टे., 1025 रकबा 0.27 हैक्टै., 1026 रकबा 0.13 हैक्टै., 1027 रकबा 0.11 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक गोलाडा को 1500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में हेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक गोलाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner